बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक-प्र07-ज0वि0प्र0-53/2011-   /खाद्य, पटना/दिनांक-

प्रेषक,

जयशंकर प्रसाद यादव,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

अपर जिला दण्डाधिकारी,
(आपूर्ति), पटना ।

विषय :- कुरकुरी पैक्स (फुलवारीशरीफ) को जन वितरण प्रणाली की अनुज्ञप्ति देने हेतु मार्ग-दर्शन के संबंध में ।

प्रसंग :- आपका पत्रांक- 66/आ0, दिनांक- 11.01.2012

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके प्रासंगिक पत्र संख्या- 66/आ0, दिनांक- 11.01.2012 के संदर्भ में कहना है कि जन वितरण प्रणाली की अनुज्ञप्ति पैक्स को संस्था के रूप में दी जाती है । यदि पैक्स के अध्यक्ष का निर्वाचन मुखिया के पद पर हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति की कार्यकारिणी द्वारा विधिवत प्राधिकृत किसी दूसरे सदस्य द्वारा जन वितरण प्रणाली की दूकान का कार्य सम्पादित किया जायेगा ।

अतः कुरकुरी पैक्स के संदर्भ में भी तद्नुंसार कार्रवाई की जाय ।

विश्वासभाजन,
ह0/-
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक- प्र07-ज0वि0प्र0-53/2011- 926 /खाद्य, पटना/दिनांक- 14/2/2012

प्रतिलिपि- सभी जिला पदाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी/जिला आपूर्ति पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव ।

D:\Year 2011\Sec-7\P.D.S.doc